


छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
// आदेश //



रायपुर, दिनांक 07/1/2013

क्रमांक एफ 1-8/2013/34-2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा वित्त निर्देश 25/2012 के परिपालन में प्रशासकीय विभाग स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु शासन स्तर पर प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण एवं स्वीकृति की अनुशंसा किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, - अध्यक्ष
लोक स्वा.यां.विभाग
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
3. वित्त विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य
(जो कि उप सचिव से कम स्तर का न हो)
4. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/ - सदस्य सचिव
अवर सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वा.यां. विभाग

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature) 05/01/13
(एच.पी.किण्डो)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 07/1/2013

पू०क्रमांक एफ 1-8/2013/34-2/

प्रतिलिपि :-

- 1/ विशेष सहायक, मान. राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वा.यां.विभाग, एम-2-14, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, एस-4-8, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वा.यां. विभाग, एस-2-32, मंत्रालय, रायपुर।
- 4/ प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5/ निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वा.यां.विभाग, एस-2-8, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audit

HOS/EE/SE-T/P/ICE/M/VE-M-C

07/1/13

07/1/13

ES
TS & GS. ant
07/1/13